न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर

उनवान संख्या	तारीख दायरा
17 / 2021	16.03.2021

पीठासीन अधिकारी – दमयन्ती कंवर (R.A.S.)

उनवान

1. बीरबल आयु 52 वर्ष पुत्र भूरा जाति मेघवाल निवासी ग्राम उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०

......वादी

बनाम

1. कमला पत्नी जीवण जाति मेघवाल निवासी ग्राम उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०
2. मनोज पुत्र जीवण जाति मेघवाल निवासी ग्राम उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०
3. पटवारी हल्का ग्राम उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०
4. तहसीलदार महोदय, फतेहपुर – शेखावाटी जिला सीकर राज०

..प्रतिवादीगण

वाद उदघोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता वादी – श्री रामेश्वर सिंह जाखड़

निर्णय

दिनांक: 20.01.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि ग्राम उदनसर तहसील फतेहपुर की तन में भूमि खसरा नम्बर 111 व 112 कुल रकबा 1.52 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 62/12 है अवस्थित है। उक्त सम्पदा को वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

विवादित आराजी वादी के पिता भूरा के कब्जे काश्त खातेदारी अधिकार की भूमि रही है। वादी के पिता भूरा का राज० का० अधिनियम प्रभावशील होने के पूर्व ही स्वर्गवास हो चुका था तथा वादी की उम्र काफी छोटी थी। इस कारण विवादित आराजी के खातेदारी राज० का० अधिनियम प्रभावशील होने के समय वादी के बड़े भाई [illegible] नाम एकाकी रूप से अंकित हो गई। जिसका वादी के वैध विधिक अधिकारों पर कोई [illegible] प्रभाव नहीं है। वादी का विवादित आराजी में 1/2 वंशानुगत हिस्सा है [illegible] विवादित आराजी [illegible] 1/2 हिस्से का काश्त लाट बाट करता चला आ रहा है तथा उक्त 1/2 [illegible] वादी अकेले का ही कब्जा अधिकार है जिसकी उदघोषणा करवाने का वैध अधिकारी वादी [illegible] वाद हेतु वाद नियोजन किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

विवादित आराजी पैत्रिक है तथा वादी का विवादित आराजी में वंशानुगत 1/2 हक हिस्सा निहित है। वादी एवं उसके भाई जीवण का आपस में विशेष प्रेम सम्पर्क व्यवहार था तथा उक्त प्रेम सम्पर्क व्यवहार जीवण के जीवनकाल तक उसी अनुसार चलता रहा। वादी अनपढ व सीधा साधा व्यक्ति है। वादी के बडे भाई जीवण द्वारा अपने जीवनकाल में करीब 30–32 वर्ष पूर्व विवादित आराजी का पारिवारिक विभाजन कर विवादित आराजी के पूर्वी ओर का अनुमानित 1/2 भाग वादी को विभाजन कर दे दिया तथा शेष 1/2 भाग जीवण ने अपने पास रखा । उक्त पारिवारिक व्यवस्था के बाद से विवादित आराजी मौके पर समभाग में दो भागों में विभक्त है तथा वादी तब से विवादित आराजी के पूर्वी तरफ के 1/2 भाग पर प्रत्येक के संज्ञान में निःशुल्क निरन्तर साधिकार बतौर स्वामी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार भी विवादित आराजी में वादी के खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके हैं।

वादी अनपढ सीधा साधा होने से एवं वादी का भाई जीवण राजनैतिक व्यक्ति होने से वादी की ओर से भी समस्त कार्य उक्त जीवण द्वारा ही किया जाता था तथा जीवण के जीवनकाल तक दोनों के मध्य कोई अविश्वास की स्थिति भी नहीं थी। इस कारण वादी को इस वर्ष से पहले तक विवादित आराजी की खातेदारी के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं रहा न ही वादी के भाई जीवण द्वारा कभी भी इस सम्बन्ध में कोई बातचीत की गई, बल्कि निरन्तर वादी विवादित आराजी के अनुमानित 1/2 भाग पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त जीवण का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जीवण के वारिसान हैं।

इस वर्ष के प्रारम्भ में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादी को तदर्थ धमकी दी गई कि इस वर्ष भी काश्त नहीं करने दी जायेगी। वादी द्वारा पूछने पर बताया कि विवादित आराजी की खातेदारी हमारे नाम है, तब वादी द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तथा विवादित आराजी की चालू जमाबन्दी प्राप्त की गई। जमाबन्दी प्राप्त होने पर प्रथमतः वादी को विवादित आराजी की खातेदारी अकेले जीवन के नाम होने की अधिकृत जानकारी हुई। उक्त खातेदारी आरम्भतः अवैध शून्य व प्रभावहीन है जिसका वादी के विधिक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।

प्रतिवादीगण की नीयत में लालचवश खोट आ गया है तथा उक्त प्रतिवादीगण विवादित आराजी की वर्तमान खातेदारी के आधार पर वादी के हक हिस्से को अमान्य कर वादी के कब्जे उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करने एवं पिछले माह से विवादित आराजी को अंतरित व प्रभारित कर खुर्द बुर्द करने को तत्काल सचेष्ट है जिसका उक्त प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण यदि अपनी उक्त अवैध कार्यवाही में सफल हो जाते है तब वादी के वैध विधिक साम्पतिक अधिकारों पर कुठाराघात होकर अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्तिबाद में अन्यथा तौर पर संभव नहीं होगी। इस कारण वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का वैध अधिकारी है तद हेतु वाद नियोजन किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज विवादित भूमियों का अन्य किसी अजनबी व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकी विगत 2 दिन से दे रहे है अगर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने उक्त कृत्य में सफल हो गये तो वादी को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति अन्यथा किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी जिससे वादी उपरोक्त विवादित आराजियात में अपना 1/2 हिस्सा भूमि भाग उद्घोषित करवाने के साथ प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को काफी समझाया लेकिन प्रतिवादीगण अपने कृषि भूमि विक्रय करने की जिद पर अड़े हुये हैं जिसके कारण वादी द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्व० जीवण के चारिसान तथा उक्त वादग्रस्त भूमियों के सहकाश्तकार हैं अधिकारी होने एवं उपरोक्त वर्णित परिवर्तन की योग्यता रखने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 राजस्व विवादित आराजियात का खाता उन्हें बतौर प्रतिवादी के रूप में प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 लोक सेवक की श्रेणी में आते है तथा कानूनन लोक सेवक के विरूद्ध दावा दायरी कि दो माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु मामला अत्यावश्यक प्रकृति का तथा निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु है इसलिये यदि नोटिस देकर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया तो वाद दायरी का उदेश्य ही विफल हो जावेगा। इस कारण बिना नोटिस दिये ही वाद पत्र धारा 80 (2) सी.पी.सी. के प्रावधान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय की अनुमति से सादर प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने एवं पिछले सप्ताह से वर्तमान अवैध शून्य प्रभावहीन खातेदारी के आधार पर विवादित आराजी को अंतरित प्रभारित कर खुर्द बुर्द करने को तत्काल सचेष्ट होने पर उत्पन्न हुआ जो वाद सावधि पेश है।

प्रतिवादी संख्या एक व दो के द्वारा गत 8 रोज अर्थात 10–05–2018 से वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करने करवाने की धमकी देने के कारण वाद कारण व इन्कारी के दिन से हक नालिस हासिल है।

वादग्रस्त कृषि भूमियां माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित होकर वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। वाद पत्र उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का होने से 4/– रूपये कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है।

यह कि वादी निम्नलिखित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैः–

क. कि वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिकी किया जाकर वादी को भूमि खसरा नम्बर 111 व 112 कुल रकबा 1.52 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 62/12 वाके ग्राम उदनसर तहसील फतेहपुर में वादी को 1/2 भाग का काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाकर वर्तमान खातेदारी निरस्त की जाकर उक्तानुसार 1/2 भाग की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम व शेष 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अमल दरामद करवाया जाना प्रार्थनीय है।

ख. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को मय नौकर, चाकर, एजेन्ट, प्रतिनिधी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वो विवादित आराजियात खसरा नम्बर 111 व 112 कुल रकबा 1.52 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 62/12 वाके ग्राम उदनसर तहसील फतेहपुर के किसी भी हिस्सा भूमि भाग का विकय, अथवा अन्य हस्तान्तरण प्रलेख द्वारा अन्तरित नहीं करे तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को पाबन्द किया जावे कि वादपत्र डिकी होने तक उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर के राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करे तथा रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे।

ग. कि अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय आवश्यक समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

मूर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने/जवाब पेश नहीं करने पर प्रकरण में तनकी कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होने पर तनकी कायम नहीं की गयी।

सशपथ बयान गवाह बीरबल (पीडब्ल्यू 1) के पेश हुए। गवाह बीरबल द्वारा प्रस्तुत बयान का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि ग्राम [illegible] भूमि खसरा नम्बर 111 व 112 कुल कया 1.52 हेक्टेयर जिसका पुराना खसर[illegible] 65[illegible] है, अवस्थित है। उक्त भूमि मेरे पिता भूरा के कब्जे काश्त खातेद[illegible] पिता की राज काश्तकारी अधि० प्रभावशील होने से [illegible] तथा मुझ वादी की उम्र काफी छोटी थी, जिस कारण उक्त भूमि [illegible] 111 व 112 की खातेदारी राज का० अधि० प्रभावशील होने के समय मुझ वादी के बड़े भाई जीवण के नाम [illegible]कि रूप से अंकित हो गई, जिसका मुझ वादी के वैध विधिक अध्धकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नही है। मुझ वादी का उम्त भूमियो में 1/2 वंशानुगत हिस्सा है तथा वादी अपने के 1/2 हिस्से की काश्त, अधिकार है, जिसकी उदघोषणा करवाने का वैध अधिकारी वादी है. तदर्थ वाद नियोजन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

विवादित भूमियां पैतृक हैं तथा वादी का उम्त भूमियो' में वंशानुगत 1/2 हिस्सा निहित है। वादी व उसके भाई जीवण का आपस में प्रेम व्यवहार था, जो कि जीवण के जीवनकाल तक उसी अनुसार चलता रहा। वादी अनपढ़ व सीधा--साधा व्यक्ति है। वादी के बड़े भाई जीवण द्वारा अपने जीवनकाल में करीब 30--32 वर्ष पूर्व विवादित भूमि का पारिवारिक विभाजन कर विवादित भूमि के पूर्वी ओर का अनुमानित 1/2 भाग वादी को विभाजन कर दे दिया व शेष 1/2 भाग वादी के भाई जीवण ने अपने पास रखा। उम्त पारिवारिक व्यवस्था के बाद में विवाहित भूमि पर समभाग में दो भागों विभक्त है तथा वादी तब से विवादित भूमि के पूर्वी तरफ के 1/2 भाग पर प्रत्येक के संज्ञान में निरन्तर साधिकार बतौर स्वामी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार भी विवादित भूमियों में वादी के खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके हैं।

वादी अनपढ़ सीधा साधा होने से व वादी के भाई जीवण राजनैतिक व्यक्ति होने से वादी की ओर से भी समस्त कार्य उम्त जीवण द्वारा ही किया जाता था तथा जीवण के जीवनकाल तक दोनों के मध्य कोई अविश्वास की स्थिति भी नहीं थी; इस कारण वादी की विवादित भूमि की खातेदारी के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं रहा, न ही वादी के भाई जीपण द्वारा कभी इस सम्बन्ध में कोई बातचीत की गई बल्कि वादी निरन्तर विवादित भूमियों के अनुमानित 1/2 भाग पर काबिज होकर काश्त करता चाला आ रहा है। उक्त जीवण स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उक्त जीवण के वारिसान हैं।

गत वर्ष के प्रारम्भ में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादी को तदर्थ धमकी दी गई कि इस वर्ष भी काश्त नहीं करने दी जायेगी। वादी द्वारा पूछने पर बताया कि विवादित आराजी की खातेदारी हमारे नाम है, तब वादी द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तथा विवादित आराजी की चालू जमाबन्दी प्राप्त की गई। जमाबन्दी प्राप्त होने पर प्रथमतः वादी को विवादित आराजी की खातेदारी अकेले जीवन के नाम होने की अधिकृत जानकारी हुई। उक्त खातेदारी आरम्भतः अवैध शून्य व प्रभावहीन है जिसका वादी के विधिक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।

प्रतिवादीगण की नीयत में लालचवश खोट आ गया है तथा उक्त प्रतिवादीगण विवादित आराजी की वर्तमान खातेदारी के आधार पर वादी के हक हिस्से को अमान्य कर वादी के कब्जे उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करने एवं पिछले माह से विवादित आराजी को अंतरित व प्रभारित कर खुर्द बुर्द करने को तत्काल सचेष्ट है जिसका उक्त प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण यदि अपनी उक्त अवैध कार्यवाही में सफल हो जाते है तब वादी के वैध विधिक साम्पतिक अधिकारों पर कुठाराघात होकर अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्तिबाद में अन्यथा तौर पर संभव नहीं होगी। इस कारण वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का वैध अधिकारी है तद हेतु वाद नियोजन किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज विवादित अमियों को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने को सचेष्ट है; यदि ऐसा करने में उक्त प्रतिवादीगण सफल हो गए तो वादी को असीम हानि होगी, जिसके कारण वादी उपरोक्त विवादित भूमियों में अपना 1/2 हिस्सा भूमि भाग उद्घोषित करवाने के साथ प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी भी है। वादी द्वारा उम्त प्रतिवादीगण को काफी समझाइश भी की गई परन्तु हर प्रकार से विफल रहने पर यह वाद प्रस्तुत क[illegible] दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले जाने की अनुमति प्रदान करें व वाद वादी डिक्री किए जा[illegible] करें।

सशपथ बयान गवाह रामलाल (पी[illegible]2) [illegible] बारबल द्वारा प्रस्तुत बयान का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि ग्राम उदनसर [illegible]पुर की तन 'भूमि खसरा नम्बर 111 व 112 कुल कया 1.52 हेक्टेयर अवस्थित है। उक्त भूमि वादी के पिता भूरा के कब्जे काश्त खातेदारी अधिकार की भूमि रही है। वादी की छोटी सी[illegible] के दौरान वादी के पिता स्वर्गवास हो चुका था जिसके बाद उक्त विवादित भूमियों की खातेदारी वादी के बड़े भाई जीवण के नाम एकांकी रूप से अंकित हो गई, विादी उम्त भूमियो में 1/2 वंशानुगत हिस्सा है तथा वादी अपने के 1/2 हिस्से की काश्त, अधिकार चला आ रहा है, जिसकी उदघोषणा करवाने का अधिकारी वादी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

वादी व उसके भाई जीवण का आपस में प्रेम व्यवहार था, जो कि जीवण के जीवनकाल तक उसी अनुसार चलता रहा। वादी अनपढ़ व सीधा–साधा व्यक्ति है। वादी के बड़े भाई जीवण द्वारा अपने जीवनकाल में करीब 30–32 वर्ष पूर्व विवादित भूमि का पारिवारिक विभाजन कर विवादित भूमि के पूर्वी ओर का अनुमानित 1/2 भाग वादी को विभाजन कर दे दिया व शेष 1/2 भाग वादी के भाई जीवण ने अपने पास रखा। उक्त पारिवारिक व्यवस्था के बाद में विवाहित भूमि पर समभाग में दो भागों विभक्त है तथा वादी तब से विवादित भूमि के पूर्वी तरफ के 1/2 भाग पर प्रत्येक के संज्ञान में निरन्तर साधिकार बतौर स्वामी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार भी विवादित भूमियों में वादी के खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके हैं।

वादी के बड़े भाई जीवण स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उक्त जीवण के वारिसान हैं। वादी एक अनपढ़ सीधा साधा होने से व वादी के भाई जीवण राजनैतिक व्यक्ति होने से वादी की ओर से भी समस्त कार्य उक्त जीवण द्वारा ही किया जाता था तथा जीवण के जीवनकाल तक दोनों के मध्य कोई अविश्वास की स्थिति भी नहीं रही। वादी अपने अनुमानित 1/2 भाग जो पूर्वी तरफ स्थित है, पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चाला आ रहा है।

मैं वादी के खेत के उत्तर दिशा का पड़ौसी हूं तथा वादग्रस्त भूमि को भलीभांति जानता हूं। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 गत वर्ष से आए दिन वादी को धमकी दे रहे है कि विवादित भूमि की खातेदारी हमारे नाम है। काश्त नहीं करने देंगे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नियत में खोट आ गया है तथा वे वादी के हक–हिस्से मे दखलन्दाजी करने पर आमदा है तथा आए दिन उक्त भूमियों को विक्रय करने को सचेष्ट है। यदि उसमें प्रतिवादीगण 1 व 2 सफल हो गए तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति अन्य तौर पर संभव नहीं हो सकेगी।

वादी का खेत मेरे खेत से दक्षिण दिशा में अवस्थित है जिस पर हुए पारिवारिक विभाजन के बाद लगभग 30–32 वर्षो से वादी को ही काश्त करते देख रहा हूं तथा वादी ही काबिज है। वाद वादी डिक्री करने की कृपा करें।

जिरह वादी शून्य है।

प्रकरण में तहसीलदार फतेहपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट (वादी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर) तलब की गयी। तहसीदार फतेहपुर से जरिये पत्रांक 2050 दिनांक 16.10.2024 के तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता वादी पक्षकारान् की बहस सुनी। बाद बहस पत्रावली एवं तहसीलदार फतेहपुर की रिपोर्ट का आद्योपान्त गहन, मनन अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील वादी ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अनुसार दावा डिक्री हेतु निवेदन किया।

विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 111 व 112 कुल रकबा 1.52 हैक्टयर वाके ग्राम उदनसर पैतृक न होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता जीवण को नामान्तकरण संख्या 280 दिनांक 24.05.1989 से जीवण पुत्र भूरा जाति चमार को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। विवादित आराजी पैतृक सिद्ध नहीं होने से वा[illegible] पेश किया गया वाद स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है।

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दमयन्ती कंवर)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....फतेहपुर (सीकर)
इजलास.....दमयन्ती कंवर (आर.ए.एस..).....

1. बीरबल आयु 52 वर्ष पुत्र भूरा जाति मेघवाल निवासी ग्राम उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०

.....वादी

बनाम

1. कमला पत्नी जीवण जाति मेघवाल निवासी ग्राम उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०
2. मनोज पुत्र जीवण जाति मेघवाल निवासी ग्राम उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०
3. पटवारी हल्का ग्राम उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज०
4. तहसीलदार महोदय, फतेहपुर – शेखावाटी जिला सीकर राज०

..प्रतिवादीगण

वाद उदघोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकद्दमा नं.....47.....सन्....2018.....
यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....मेरे.....

व हाजिरी...श्री रामेश्वर सिंह जाखड़ एडवोकेट.....मिनजानिब मुद्दई रूबरू.....श्री .....एडवोकेट .....
.....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 111 व 112 कुल रकबा 1.52 हैक्टयर वाके ग्राम उदनसर पैतृक न होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता जीवण को नामान्तकरण संख्या 280 दिनांक 24.05.1989 से जीवण पुत्र भूरा जाति चमार को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। विवादित आराजी पैतृक सिद्ध नहीं होने से वादी द्वारा पेश किया गया वाद स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है।

निज.....– .....मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....
खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह.....–.....फीसदी सालाना आज की तारीख से
तरीख अदायगी तक.....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....20.....माह .....जनवरी.....सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत.....
मुहर.....
(दमयन्ती कंवर)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	—	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महन्ताना वकील	—		महन्ताना वकील	—	
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान	—	
फीस कमिश्नर	—		फीस कमिश्नर	—	
बबत इजराय हुक्मनामा	—		बबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुतफरिक	2		मुतफरिक	—	
मीजान	5			—	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested